जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से;
सम्बंधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442467 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341765
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5775

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पद क्रमांक (07) के निर्णयानुसार **चौधरी यदुनाथ सिंह महाविद्यालय, भिण्ड** को सत्र 2012-13 के लिये एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, सैन्यविज्ञान), बी.कॉम. (समस्त अनिवार्य विषय एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन, वैकल्पिक विषय), बी.एस सी. (जन्तुविज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइंस वैकल्पिक विषय), पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. पाया कि भौतिकी प्रयोगशाला में प्रयोग बी.एस-सी. से बहुत निम्न स्तर के है, प्रयोगों की संख्या बहुत कम है और Dark Room की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है।
2. महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विषय की प्रयोगशाला नहीं है।
3. जन्तुविज्ञान विषय की प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की संख्या अपर्याप्त है जरूरत के रसायन भी पूरे नहीं है।
4. रसायन प्रयोगशाला में रसायन गलत तरीके से संचित किए गए है, रसायन घटिया गुणवत्ता के है, प्रयोगशाला में व्यवसायिक गैस सिलिंडर होना चाहिए।
   अनुशंसा की जाती है, कि उपरोक्त चारों विषयों में प्रत्येक प्रयोगशाला में कम से कम 1,50,000/- रु. मूल्य के यंत्र, उपकरण, रसायन आदि खरीदे जाए।
   महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर सैन्यविज्ञान पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता मिली हुई है, किन्तु वर्तमान में वह पाठ्यक्रम चलाया नहीं जा रहा है। इसके लिए महाविद्यालय के पास जरूरी अधोसंरचना नहीं है।
5. कम्प्यूटर लैब में 04 छात्रों पर एक कम्प्यूटर के हिसाब से निर्धारित सीट संख्या पर आवश्यकतानुसार कम्प्यूटरों की व्यवस्था की जानी चाहिए साथ ही छात्रों की संख्या के अनुसार लीगल सॉफ्टवेयर क्रय किया जाना चाहिए एवं कम्प्यूटर लैब को परिनियम 27 के अनुसार बनाया जावे।
6. व्याख्यान कक्षों में बैंच कोई नहीं है।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए प्रबंधन द्वारा एक पुरानी नियुक्ति है।
8. क्रीड़ा मैदान विकसित कर उचित योग्यताधारी क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत की जानी चाहिए।
9. सभी शैक्षणिक गैर शैक्षणिक व तकनीकी पदों पर 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति की जानी चाहिए।
10. मात्र कुछ ही शिक्षक 28(17) से नियुक्त है, यह सभी नियुक्तियां अभी बहुत हाल में की गई है। यह संख्या अपर्याप्त है।
11. सभी वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किए जाने चाहिए।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, चौधरी यदुनाथ सिंह महाविद्यालय, भिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक 03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)